

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (i) श्री सुनील कुमार साव पिता स्व. महाबीर साव (ii) श्री अशुतोष कुमार पिता स्व. बिनोद कुमार साव , ग्राम-माण्डू थाना- माण्डू, जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 113, ग्राम- माण्डू , (गैर मजरुआ जंगल झाड़ी) खाता सं० 1 के अधीन प्लॉट सं०- 90/1821 & 90/1822 कुल रकबा: -4.00 एकड़ (गैर मजरुआ जंगल झाड़ी) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http : // www. centralcoalfields. In / indsk / noti_empl_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (हजारीबाग), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

AKK
02/04/2024